

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

The State of Jharkhand

V/s

Samsher Ansari & Ors.

Order sheet dated To

Case No- 24/24-25

Nature of Case- Confiscation

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

<p>आदेश की क्रम सं और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>				<p>आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p>				
<p>1. 12/12/24</p>	<p>2. आदेश</p>				<p>3.</p>				
<p>यह Confiscation Case No- 24/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. समसेर अंसारी 2. विकास उराँव में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1391/अप0शा0 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा लोहरदगा थाना काण्ड सं0 137/2024 दिनांक 01.07.2024 के आलोक में धारा 317(5) भा0न्या0सं0 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।</p>									
<p>वाहन की विवरणी</p>									
क्र0	वाहन के प्रकार (मोडल नं0)	वाहन सं0	चेयिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता				
01.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल सं-735 XT	JH08F-6726	WSTG28428102 807	391355SYG09135	समसेर अंसारी, पे0-हसन अंसारी सा0-उगरा सड़क टोली, थाना-किस्को,, जिला-लोहरदगा।				
02.	महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 415 DI DLX	JH08J-5318	MBNABA VGA MJL03462	RML4YPA0052	विकास उराँव, पे0- शनिचरवा उराँव, सा0-तिगरा लालपुर, अरकोसा थाना एवं जिला-लोहरदगा।				
<p>इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।</p> <p>मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्द्र Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanicance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of</p>									

Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।



उपायुक्त,
लोहरदगा।



उपायुक्त,
लोहरदगा।